(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जोगेन्द्र सिंह (RAS)

प्रकरण सं० 22/21 दायर दिनांक 21/9/21

विमला देवी पत्नि श्री ओंकार सिंह जाति जाट निवासी सलेमपुर कलाँ तहसील -मुसावर

--प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुसावर
2. सहायक अभियन्ता P.W.D वैर जिला भरतपुर

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
131-136 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अधिवक्ता 1. श्री जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय - प्रार्थि[illegible]
" श्री देवेन्द्र शरण पाठक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 16-02-2022

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि आ. ख०न. 329 रकबा 0.0820 हे० बाके ग्राम शाहजादपुरा तहसील मुसावर में स्थित है जिसमें प्रार्थिया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उपरोक्त आराजी प्रार्थिया ने जरिये कवाला बयनामा प्राप्त हुई है। उक्त नम्बरान यानि सेटलमेन्ट के द्वारा पुराना खसरा नं० 256/2 का नया खसरा नम्बर 329 बना दिया गया।

मनवट के आधार पर उक्त खसरा में प्रार्थिया का हिस्सा रास्ता आम की भूमि से लगा हुआ है रास्ता जो कि हिण्डौन मुसावर मार्ग पर ग्राम शाहजादपुरा में स्थित है जबकि सेटलमेन्ट के बाद खसरा में 329 को आम रास्ता से दूर दर्शित किया गया है जो गलत है व खिलाफ मौका है।

ख०नं० क्रमशः 401, 312, 314, 321, 324 [illegible] के

तथा उक्त रोड मुसावर (शिक्षोन) मार्ग है लेकिन सैटलमैन्ट के समय सेटलमैन्ट कर्मचारी द्वारा राजस्व रिकार्ड नक्शे में अशुद्धि करते हुए गलत स्थान पर अंकित कर दिया है तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा में जो पुराना था उसमें सही दर्शाया गया है सेटलमैन्ट के बाद उक्त खसरा में जो कि रास्ता आम से लगे हुए हैं नक्शा में नहीं दर्शाया गया है।

अतः निवेदन किया गया है कि नक्शा जो सेटलमैन्ट के बाद का है में संशोधन कर खसरा नं. 329 को रास्ता सड़क मार्ग से लगा हुआ है उसको दर्शित किया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई नोटिस की तामील में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री देवेन्द्र शरण पाठक द्वारा पेश किया गया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी, ILR संवत 1985 नक्शा लट्ठा व नये नक्शा बन्दोबस्त सन् 2005 से मौका देखा गया। मौके पर आ० 220 नं. 312/402 व ख.नं. 313, 314 में से होकर सड़क निकल रही है। जिसके अनुसार ख०नं. 312 व 311 पर खातेदार सतीश पुत्र रमेशचन्द कौम ब्राह्मण काबिज है व ख.नं. 310 पर दलगंजी पुत्र सूरजमल कौम काबिज है एवं ख० नं. 313 व 314 के पूर्वी हिस्सों में से होकर सड़क निकली हुई है।

अप्रार्थी सं० 2 सहायक अभियन्ता सा.नि. विभाग उपखण्ड वैर द्वारा अपने जवाब में प्रा०पत्र की अधिकतर मदों को स्वीकार किया गया है तथा अवगत कराया है कि आ० ख.न. 433/329 रकबा 0.22 हैक्टर वाके ग्राम शहजादपुरा में स्थित है जो P.W.D रोड से सटा है उक्त आराजी पूर्व में

W.

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

के खातेदार अशोक पुत्र छोटेलाल वगैरह दर्ज रिकार्ड था। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में रणवीरगढ़ शिविर में उक्त आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.82 है० का समस्त खातेदारान की सहमति से बटवारा किया गया जिसका नामा० सं- 47 है। मूल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.82 है० के तीन खसरा नम्बर बने हैं जिसके मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुरूप रिकार्ड में शुद्ध करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष को सुना गया तथा उभयपक्षकारान का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा शपथ-पत्र सहखातेदारान को देखा गया। उक्त के आधार पर हम प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136.131 LRA को स्वीकार किये जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया है कि सैटलमैंट से पूर्व की स्थिति अनुसार एवं वर्तमान मौका अनुसार आ० ख०नं- 329 रकबा 0.0820 है० बाके ग्राम शाहपुर तहसील भुसावर के नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे। साथ ही ध्यान रहे किसी भी खातेदार का हित निहित न हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.22 को खुले इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)